कोटपूतली में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों पर चर्चा की

कोटपूतली, (नि.सं.)। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से महासिंह चौधरी, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, अरुण कुमार सैनी, रमेश चंद रावत, दाताराम सैनी, राजवीर यादव एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रकाश चंद सैनी, सतीश निमोरिया, विकास सिंह शेखावत, राजेन्द्र प्रसाद एवं भीम सिंह गुर्जर मौजूद रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची को पूरी तरह से जांचने की प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने और अपात्र नामों को हटाने का काम किया जाता है, ताकि मतदाता सूची सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे। उन्होंने कहा कि यह सूची बीएलओ के पास हार्ड कॉपी में तथा सीईओ और डी ई ओ कि वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण के अन्तर्गत भी बीएलओ द्वारा हाउस टू हाउस जाकर मतदाताओं की पहचान के रूप में एक साल सरल गणना पपत्र भरवाया जाना है एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।

उन्होंने बताया कि गणना पपत्र में प्रविष्ठियां, जैसे निर्वाचक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, मतदाता का पुराना फोटू, पता, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र का नाम पूर्व में ही मुद्रित होगा. मतदाता को गणना पपत्र में मात्र अपना नाम वर्तमान रंगीन फोटो लगाना है तथा इससे जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता का नाम, माता का नाम, पत्नीध्पति का नाम एवं यदि इनके मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध हों तो उनकी प्रविष्ठियां ही की जानी हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर) ओमप्रकाश सहारण ने विस्तार से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए मतदाताओं की श्रेणीवार व उपलब्ध संभावित दस्तावेजों, घर- घर गणना, ऑनलाइन पपत्र केसे सबमिट करें, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट के कार्य, विशेष गहन पुनरीक्षण अपील की जानकारी दी साथ ही दलों के प्रतिनिधियों के सवालों व सुझावों पर चर्चा की।

ग्राम कराणा में रात्रि चौपाल आज

कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में उपखंड नारायणपुर की ग्राम पंचायत कराणा में 30 जुलाई को सांय 6 बजे से रात्रि चौपाल होगी। उपखंड अधिकारी नारायणपुर दिनेश शर्मा ने जानकारी दी। दी।

गांजा तस्कर को 3 वर्ष का कारावास

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के साढ़े छह साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने मामले में सुनवाई करते हुए गांजा तस्करी के आरोपी रोहित उर्फ विवेक को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 22 सितम्बर 2019 को नयापुरा थानाधिकारी ने सूचना पर कार्यवाही करते हुए नयापुरा निवासी रोहित उर्फ विवेक के रिहायशी मकान में बने कमरे की अलमारी में से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। पुलिस ने मामले में कार्यवाही के दौरान 4 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया।

सोता नदी में वेस्ट सामग्री डालने पर जताया विरोध

कोटपूतली, (नि.सं.)। कोटपूतली से नीमकाथाना स्टेट हाईवे निर्माण के दौरान निकाली जा रही वेस्ट मिट्टी, मलबा व पत्थरों को ग्राम सरुण्ड स्थित टोल प्लाजा के पास सोता नदी के बहाव क्षेत्र में डम्प किये जाने को लेकर मंगलवार को खनन ग्रस्त संघर्ष समिति कोटपूतली के प्रतिनिधि मंडल ने सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में समिति के सचिव राधेश्याम शुक्लावास ने बताया कि फोरलेन निर्माण कार्य के चलते नदी के बहाव क्षेत्र में भारी मात्रा में मलबा डाला जा रहा हैं। जिससे प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो रहा है और पर्यावरणीय संकट गहराता जा रहा है। इससे ना केवल जल स्त्रोतों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आसपास की खेती योग्य भूमि, वन्य जीवन व चारागाहों पर भी प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। इस संबंध में पूर्व में तहसीलदार को दिए गए परिवाद पर हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट में भी उक्त तथ्य सही पाए गए, जिसकी प्रति जिला प्रशासन को सौंपी गई। जिला कलेक्टर ने गंभीरता से मामले को संज्ञान में लेते हुए मौके पर ही आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कॉल कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पर्यावरणीय सुरक्षा के मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने को कहा। समिति ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर अवैध डम्पिंग हटाने की कार्यवाही नहीं की गई, तो जनहित में धरना व भूख हड़ताल शुरू की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यह विरोध सिर्फ नदी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के पर्यावरण, खेती, जल संरक्षण व जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिये है।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित रिसॉर्ट प्रोजेक्ट "रिट्ज कार्लटन जयपुर" खसरा न. 622/737, 623/738, 782/622, 783/622 ग्राम जुगलपुरा, तहसील-आमेर, जयपुर, राजस्थान को जिसका कुल भूखंड क्षेत्र 1,50,000 वर्ग मीटर नेट भूखंड क्षेत्र 1,49,992.26 वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्र 61,330.95 वर्ग मीटर है पर भवन निर्माण की पर्यावरण स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पत्र संख्या RJ/24/SEAC1/ INFRA2/EC/0396 दिनांक 23/06/2025 को प्रदान कर दी गयी है। सहमति प्रपत्र की प्रति पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के पास उपलब्ध है।

गुरनानी रिसॉर्ट्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड

नाम परिवर्तन

मेरा नाम समस्त पहचान दस्तावेजों में दया चन्द पुनियां है और पासपोर्ट में दया चन्द (Daya Chand) है। जबकि मेरा नाम दया चन्द पुनिया (Daya Chand punia) है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है मुझे भविष्य में दया चन्द पुनिया (Daya Chand Punia) के नाम से जाना जावें पता बी-7, हरि नगर शास्त्री नगर जयपुर

मैंने मेरा नाम सलमा बानो छीपा से बदलकर सलमा बानो (Salma Bano) रख लिया है। भविष्य में मुझे सलमा बानो के नाम से जाना जावें। पता-प्लाट नं. 12, आदर्श कॉलोनी, बगरू, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-5723 दिनांक-22.07.2025

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 61/11 (HIG), (एरिया 189.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन डॉ. हरिज्ञान सिंह पुत्र स्व. श्री भूपति सिंह को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2543 दिनांक 31.03.1992 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 1897 दिनांक 03.07.1992 को जारी किया गया। डॉ. हरिज्ञान सिंह की मृत्यु दिनांक 28.07.1993 को हो जाने के कारण इनके दोनों पुत्र श्री संजय सिंह एवं श्री विजय सिंह पुत्रान स्व. श्री हरिज्ञान सिंह द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। श्री संजय सिंह एवं श्री विजय सिंह पुत्रान स्व. श्री हरिज्ञान सिंह के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 2917 दिनांक 31.03.1999 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री संजय सिंह एवं श्री विजय सिंह के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 31.03.1999 को उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर के यहाँ पंजीकृत करवाये गये। श्री विजय सिंह द्वारा उक्त आवास को दिनांक 13.02.2004 के द्वारा श्री संजय सिंह पुत्र स्व. श्री हरिज्ञान सिंह का 1/2 हिस्सा विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री संजय सिंह पुत्र स्व. श्री हरिज्ञान सिंह द्वारा उक्त आवास का विक्रय पत्र के आधार पर 1/2 हिस्से का नाम हस्तान्तरण हेतु प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। श्री संजय सिंह के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 5429 दिनांक 18.12.2024 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री संजय सिंह भदौरिया द्वारा उक्त आवास को दिनांक 21.02.2025 के द्वारा श्री ऋषि राज शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्री ऋषि राज शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री ऋषि राज शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

टी.बी. मुक्त भारत अभियान एवं एन.टी.ई.पी. की समीक्षा

जिला क्षय निवारण केन्द्र टोंक में टीबी मुक्त भारत अभियान व एनटीईपी कार्यक्रम की समीक्षा की।

टोंक, (नि.सं.)। जिला क्षय निवारण केन्द्र टोंक में टीबी मुक्त भारत अभियान एवं एनटीईपी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र चौधरी ने सभी अधिकारियो व कर्मचारियों को कार्यक्रम की सफलता के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने वलनरेबल पॉपुलेशन स्क्रीनिंग, की पापुलेषन, नॉट टेस्ट, ऐक्स रे, निक्षय पोषण योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, टीपीटी आउटकम, नोटिफिकेषन, एमबीपीएएल रेजीमेन, एसीएफ सर्वे, आदि बिंदु पर चर्चा की।

बैठक में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ हिमांशु मित्तल ने कम प्रगति वाले चिकित्सा संस्थान को प्रेरित कर कार्य में प्रगति लाने, एवं चेस्ट ऐक्स रे के लिए समीप के लैब में जांच, टीपीटी में सीवाई टेस्ट करवाना ओर उनकी एंट्री निक्षय पोर्टल में करना, निक्षय पोषण योजना में बैंक खाता सीडिंग कर उनका भुगतान करना आदि के निर्देश दिए।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदय स्थान श्रीमाधोपुर

छीतरमल विरूद्ध गैन्द कंवर वगै.

वाद बाबत - दावा

वाद सं. 06सन् 2025

बनाम गैन्द कंवर पत्नी लादूसिंह जाति राजपूत स्थान निवासी तन ग्राम सांवलपुरा-तंवरान तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) वादीगण ने आपके विरूद्ध दावा के लिये वाद पीयत किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 05 माह 08 सन् 2025 को दिन मे 10.00 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 03 माह 07 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

न्यायालय की आज्ञा से-सरिश्तेदार
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर, सीकर

पुनरीक्षण कार्यक्रम की बारीकियां समझाई

कोटपूतली के राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने बी.एल.ओ. के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया।

कोटपूतली, (नि.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ के प्रशिक्षण के दूसरे दिन मंगलवार को जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने यहां के राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश प्रदान किये।

उन्होंने बीएलओ को बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान का कार्य किया जाता रहा हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया राजस्थान में 23 वर्ष पहले 2002 में की गई थी। वर्तमान में बीएलओ के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाया जाना है एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये जाने है।

इस गणना प्रपत्र में डिटेल पहले से भरी होगी एवं मतदाता को वर्तमान रंगीन फोटो लगाना है तथा जन्म तारीख, मोबाईल नंबर, आधार संख्या सहित अन्य प्रविष्टियां की जानी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजस्थान में लगभग 53 प्रतिशत मतदाता ऐसे मिलेगें जिनका नाम मतदाता सूची में मिलेगा जिनसे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं लिया जाना है, केवल गणना प्रपत्र भरवाना है। दूसरे मतदाताओं से एक अथवा दो दस्तावेज (एक स्वयं का एवं दूसरा उनके माता-पिता) एवं केवल 03 प्रतिशत ही ऐसे मतदाता होगें जिनसे 03 दस्तावेज प्राप्त करने है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आये या जानकारी प्राप्त करनी हो तो डीएलएमटी एवं एलएमटी से संपर्क कर सकते है। डीएलएमटी राजेश कुमार यादव ने बीएलओ को सर्वे के दौरान किये जाने वाले कार्य एवं बीएलए व स्वंयसेवकों से सम्पर्क कर गणना प्रपत्र संकलन के बारे में बताया। मास्टर ट्रेनर रामबीर यादव ने बताया कि मतदाता से गणना प्रपत्र कैसे भरवाया जाना है एवं फॉर्म नंबर 6, 7 व 8 किस तरह से ईआरओ द्वारा स्वीकारध्अस्वीकार किये जायेगें। परीक्षण के दौरान 50 बूथ स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सत्यवीर सिंह यादव मास्टर ट्रेनर, अतुल कुमार आर्य, रामावतार नागर, विजय सिंह, मुकेश मीणा, पप्पू यादव समेत अन्य मौजूद रहे।

गणेशजी को निमंत्रण देंगे

फुलेरा, (नि.सं.)। भादवा मास सेवा समिति, पांच बत्ती चौराहा पुराना फुलेरा की ओर से बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम सिद्ध श्री गणेश मन्दिर पर गणेश जी को प्रथम निमंत्रण अर्पित कर कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया जाएगा। भादवा मास विश्राम स्थल का शुभारंभ 10 अगस्त को किया जाएगा, जो कि पूरे माह तक चलेगा। कार्यकारिणी सदस्यों व भक्तजनों से 30 जुलाई बुधवार को प्रात:10:15 बजे विश्राम स्थल पर पहुंचकर धर्मलाभ लेने की अपील की है। समिति अध्यक्ष रामपाल कुमावत, सचिव भगवान बाना, कोषाध्यक्ष वेदप्रकाश पारीक, संरक्षक नन्दकिशोर शर्मा, जानकी लाल कुमावत तथा व्यवस्थापक मनमोहन सैनी, मांगीलाल जांगिड़, राम अवतार टांक, मोहन कुमावत, राजकुमार देवाल, खेमचन्द निठारवाल, सीताराम हलवाई सहित भक्तजन मौजूद थे।

कांवड़ यात्रा लाने की तैयारी पर मंथन

फुलेरा, (नि.सं.)। कस्बे की बिचून रोड़ स्थित जनकल्याण केन्द्र पर फुलेरा जनकल्याण सेवा समिति की एक मिटिंग का आयोजन समिति अध्यक्ष गिरधारी सिंह शेखावत की अध्यक्षता में किया गया।

मिटिंग के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं को लेकर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। जिसमें मुख्य रूप से आगामी 3 अगस्त रविवार को सांभरलेक स्थित पवित्र तीर्थ स्थल देवयानी सरोवर से सामूहिक कांवड़ यात्रा लाने के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा की गयी। इसके बाद सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि सामूहिक कांवड़ यात्रा देवायानी सरोवर से रवाना होकर फुलेरा पांच बत्ती चौराहा, पुराना फुलेरा तक साथ साथ आयेगी। इसके बाद सभी कांवडिय़े अपने-अपने शिवालयों मे जा कर जलाभिषेक करेंगे। वहीं आगे बताया कि सभी कावडियें पुराना फुलेरा स्थित तेजाजी चौक में सायं 4 बजे से सामूहिक पंगत प्रसादी का आयोजन किया जायेगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व 2 अगस्त से रूद्रमहायज्ञ का आयोजन रहेगा, जिसकी पूर्णाहूति 3 अगस्त को होगी। इसके अलावा वहीं 3 अगस्त को 12:15 बजे तेजाजी चौक में प्रणव अठावाल के संयोजन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहेगा। मिटिंग के अन्तिम चरण में समिति के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया।

> ■ जनकल्याण केन्द्र पर एक मिटिंग का आयोजन समिति अध्यक्ष गिरधारी सिंह शेखावत की अध्यक्षता में किया

इसी क्रम में फुलेरा जनकल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष गिरधारी सिंह शेखावत ने बताया कि हमारी अभिलाषा है कि सावन माह में किसी एक दिन नगर के समस्त शिवालयों में एक साथ रूद्राभिषेक हो। जिससे समस्त नगरवासी सम्पन्नता की ओर अठासर हो सके और नगर में किसी को भी हारी बीमारी और धनाभाव न रहे। मिटिंग के दौरान यादराम जोशी, दिलीप सुरोलिया, गजेन्द्र सिंह शेखावत, रतन राजौरा, मुकेश गेनोलिया, महावीर जैन, बजरंग जोशी, सुरेश सैनी, मुकेश सैनी, कृष्णकान्त वर्मा, मांगी लाल सैनी, भागचन्द कुमावत, अमर सिंह, पन्नालाल पंवार, बाबूलाल मीणा, सूरज वर्मा आदि उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)

(राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)

क्रमांक: एफ-6() उपा.राज.-द्वितीय(सा.प्र.)/ननिग्र./2025/125 दिनांक: 24.07.2025

सार्वजनिक सूचना

मूल भूखण्ड संख्या बी-40, बजाज नगर, जयपुर का अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर द्वारा श्री राजेन्द्र नाथ भार्गव के नाम से क्षेत्रफल 296.6 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। दिनांक 06.02.1976 को नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या बी-40, बजाज नगर योजना, जयपुर क्षेत्रफल 296.6 वर्गगज श्री राजेन्द्र नाथ भार्गव पुत्र स्व0 श्री दीनानाथ भार्गव के नाम से पट्टा जारी किया गया। दिनांक 07.02.1976 को श्री राजेन्द्र नाथ भार्गव पुत्र श्री स्व. श्री दीनानाथ भार्गव द्वारा भूखण्ड संख्या बी-40, बजाज नगर, जयपुर श्री मृणाल कान्ति मुकर्जी पुत्र स्व. श्री अमृतलाल मुकर्जी को बेचान किया गया। दिनांक 17.06.1976 को नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या बी-40, बजाज नगर, जयपुर, श्री एम. के. मुकर्जी पुत्र स्व. ए. एल. मुकर्जी (श्री मृणाल कान्ति मुकर्जी पुत्र स्व. श्री अमृतलाल मुकर्जी) के नाम से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। दिनांक 31.01.1980 को श्री मृणाल कान्ति मुकर्जी पुत्र स्व. श्री अमृतलाल मुकर्जी द्वारा भूखण्ड संख्या बी-40, बजाज नगर, जयपुर क्षेत्रफल 298.88 वर्गगज श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री जेठमल जैन को बेचान किया गया। दिनांक 20.11.2008 को नगर निगम जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या बी-40, बजाज नगर, जयपुर क्षेत्रफल 296.6 वर्गगज श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री जेठमल जैन के नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। दिनांक 29.12.2018 को श्री मदन लाल जैन की मृत्यु हो गई। दिनांक 26.11.2024 को श्रीमती सुनिता जैन पुत्री स्व. मदन लाल जैन (पत्नी श्री संजय जैन) द्वारा भूखण्ड संख्या बी-40, बजाज नगर, जयपुर क्षेत्रफल 298.88 वर्गगज मे से अपना अविभाजित 1/4 हिस्सा 1. श्रीमती गुणमाला देवी जैन पत्नी स्व. मदन लाल जैन 2. श्री संजय जैन 3 श्री सुनिल जैन पुत्रान् स्व. श्री मदन लाल जैन के पक्ष में हकत्याग किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड पट्टे की प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, नाम हस्तान्तरण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राजिस्टर्ड हक त्याग पत्र, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा 1. श्रीमती गुणमाला देवी जैन पत्नी स्व. मदन लाल जैन 2. श्री संजय जैन 3. श्री सुनिल जैन पुत्रान् स्व. श्री मदन लाल जैन के पक्ष में क्षेत्रफल 296.6 वर्गगज का ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

शपथ ग्रहण समारोह हुआ

राजगढ़। समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संस्थान लायंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह त्याग एवं समर्पण भाव के साथ सेवा को लक्ष्य मान उत्साह एवं उल्लास से आयोजित हुआ। टहला बाईपास स्थित गणपति मैरिज होम में सोमवार देवरात्रि तक चले इस कार्यक्रम में लायंस की सेवा भावना का जादू एवं जरूरतमंद की सेवा का जज्बा देखने को मिला। पदाधिकारी देवेंद्र मदान ने कर्तव्य एवं दायित्व बोध के साथ सभी पदाधिकारी को जोश एवं उल्लास के साथ शपथ दिलाई। प्रांत पाल सुधीर बाजपेयी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। लायंस क्लब राजगढ़ इकाई ने अतिथि सुधीर बाजपेयी, देवेंद्र मदान, सुमेर जैन, गायत्री सेठी, ऋषि फतेहपुरिया आदि का स्वागत किया।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकाधिक कार्रवाई करने के निर्देश

कोटपूतली, (नि.सं.)। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को एसपी देवेन्द्र कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में जिले के पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी देवेन्द्र कुमार बिश्नोई द्वारा आपराधिक आंकड़ों का गत वर्ष से तुलना करते हुये संज्ञेय अपराधों में कमी लाने व लोकल एवं स्पेशल एक्ट में वृद्धि करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकाधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।

पोक्सो, बलात्कार, महिला अत्याचार व एस.सी.ध्एस.टी. के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर दो माह की अवधि में निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। लम्बे समय से लम्बित प्रकरणों का वरिष्ठता के अधार पर शीघ्र निस्तारण करने व थाने पर पेंडिंग चालानध्एफ.आर. शीघ्र न्यायालय में पेश करने के लिये सम्बन्धित वृताधिकारी व थानाधिकारियों को निर्देश दिये गये। सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर गुण्डा एक्ट व राजपासा के तहत कार्यवाही करने तथा विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में वांछित अपराधियों, स्थाई वारंटियों, उद्घोषित अपराधियों, ईनामी संगठित अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। चोरीध्नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिये गये। भू-माफिया, शराब माफिया, मादक पदार्थ तस्कर आदि पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। थानों में जप्तशुदा वाहनों के निस्तारण के संबंध में निर्देश दिये गये। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास करने बाबत निर्देश दिये गये। सम्पति संबंधी अपराधों में बरामदगी प्रतिशत बढ़ाने व पैंडेंसी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप रखने के निर्देश प्रदान किये गये। न्यायालय से प्राप्त सम्मनध्वारन्टध्नोटिसों की समय पर तामील करवाने एवं साईबर अपराधों के संबंध में आमजन को जागरूक व सचेत कर साईबर अपराधों में कमी लाने के निर्देश दिये गये। आसूचना तंत्र को मजबूत करने व समय पर सूचनायें उच्चाधिकारियों को देने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये। आमजन के साथ मधुर व्यवहार, नियमित जनसुनवाई कर उनकी समस्याओं का उचित निराकरण करने व पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रखने हेतु समस्त एएसपी, डीएसपी व थानाधिकारियों को विशेष निर्देष दिये गये। बैठक में एएसपी कोटपूतली वैभव शर्मा, एएसपी नीमराणा शालिनी राज, डीएसपी कोटपूतली राजेन्द्र कुमार बुरड़क, डीएसपी विराटनगर शिप्रा राजावत, डीएसपी बहरोड़ कृतिका यादव, डीएसपी नीमराणा सचिन शर्मा सहित कई जने उपस्थित रहे।

कोटपूतली में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एस.पी. देवेन्द्र कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में जिले के पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया।

पौधारोपण एवं गौसेवा के कार्य फुलेरा में किए

फुलेरा, (नि.सं.)। विप्र सेना स्थापना दिवस पर विधानसभा क्षेत्र फुलेरा विप्र सेना द्वारा नरैना रोड पर स्थित श्री खाण्डल विप्र भवन परिसर में सेवा कार्य किये। जिसमें पर्यावरण एवं गौ सेवा के दो मुख्य कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इसके चलते कार्यक्रम के दौरान सैकड़ो गौ माता को गुड खिलाया गया, एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु पौधारोपण किया गया। साथ वृक्षारोपण में वृक्ष पालन की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर फुलेरा तहसील विप्र सेना संरक्षक महेश दाधीच, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष बजरंग जोशी, उपाध्यक्ष दीनदयाल दाधीच, महासचिव कृष्णकांत शर्मा, कपूर रिणवा, संगठन सचिव राजीव दत्त गौड, सचिव शिवकुमार गौड, साहित्यिक सचिव गौरी शंकर शर्मा, मीडिया प्रभारी मुरारी सिवांल, विप्र सेना फुलेरा नगर युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनीष पीपलवा, नरैना नगर विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ अभिषेक शर्मा, नवल किशोर दाधीच, वासुदेव दाधीच, जुगल किशोर दाधीच सहित समाज के राजू दाधीच, शैलेन्द्र शर्मा, पण्डित नारायण माटोलिया, राम प्रसाद जोशी, यादराम जोशी, मोहन लाल माटोलिया, मदन रिणवा, श्याम रुथला एवं मातृ शक्ति व समाज के कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

आम सूचना सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री रामनिवास यादव, निवासी 1-ए, सिग्मी कॉलोनी, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (राजस्थान) ने मेरी अभिभाष्य- फर्म इनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना तिलक रेजीडेन्सी, गोकुलपुरा, जयपुर के भूखण्ड संख्या-34 के मूल दस्तावेज गुम हो गये है जिस बाबत गुमशुदगी रपट संख्या LR. No. 277081/2025 दिनांक 26.05.2025 को जयपुर में दर्ज करवाई है तथा उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि व शपथ पत्र समिति कार्यालय में प्रस्तुत किये तथा डुप्लीकेट पट्टा जारी करने बाबत समिति से कहा गया। यदि उक्त भूखण्ड का डुप्लीकेट पट्टा जारी करने बाबत समिति से कहा गया। यदि उक्त भूखण्ड का डुप्लीकेट पट्टा, रसीद व साईड प्लान जारी करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति या संगठन को कोई आपत्ति हो तो वो समिति कार्यालय में या मेरे कार्यालय में उक्त सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में उज्र व आपत्ति पेश करें, अन्यथा डुप्लीकेट पट्टा जारी किया जावेगा, बाद मियाद गुजरने के कोई उज्र मान्य नहीं होगा।

(हेमन्त कुमार पलोड़) एडवोकेट, मोबाईल नं. 9314511091

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण सुनन्दा सक्सैना पुत्री सत्येन्द्र मोहन चोपड़ा उम्र 55 वर्ष, व अमन चोपड़ा पुत्र अखिलेश सक्सैना, निवासीगण त्रिरूपति रेजीडेन्सी, बी-146, एफ-1, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण के पति व पिता अखिलेश सक्सैना पुत्र सर्वेश्वर बहादुर सक्सैना जो कि काफी वर्षो पूर्व मेरे अभिभाष्यगण को छोड़कर चले गये थे का मेरे अभिभाष्यगण से किसी प्रकार का कोई लेन देन हक वास्ता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति फर्म, संस्था, बैंक, या अन्य कोई वितीय संस्थान अखिलेश सक्सैना से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार, लेन देन इत्यादि करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिमेदार होंगे, मेरे अभिभाष्यगण की किसी प्रकार की कोई जिमेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।

जयपुर-
दिनांक-

(हरीश कुमार जसवानी)
एडवोकेट, मो.-9414252017

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-5840 दिनांक-28.07.2025

जाहिर आम-सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 112/194 (EWS), (एरिया 30.937 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री लादू राम बैरवा पुत्र श्री पुराराम बैरवा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 5483 दिनांक 09.02.2009 को जारी किया गया।

श्री लादूराम बैरवा की मृत्यु दिनांक 03.03.2025 को हो जाने के कारण अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर इनकी पुत्री सुश्री सविता बैरवा पुत्री स्व. श्री लादूराम बैरवा द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, सुश्री सविता बैरवा पुत्री स्व. श्री लादूराम बैरवा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

खोया पाया

मेरे राजस्थान आवासन मण्डल के जवाहर नगर स्थित मकान नम्बर 3/165 के डिक्लेयर लेटर (कब्जा पत्र) एवं अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गए। मिलने पर सूचित करें। राजीव मोहन दुआ पुत्र आनन्द प्रकाश दुआ 8003290149

म.नं. ए-4-179, ट्रांसपोर्ट नगर, सीकर रोड, जयपुर का पट्टा, स्टाम्प व साइट प्लान कहीं गुम हो गए है, मिलने पर सूचित करें। श्री गुरूशिन्दर सिंह-9982555552

मेरे प्लॉट नम्बर 12-ए, बृजपुरी, जगतपुरा, जयपुर के सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति के मूल दस्तावेजात आवंटन पत्र, मानचित्र एवं दो रसीदें कहीं खो गए है, मिलने पर सूचित करें। दामोदर प्रसाद खण्डेलवाल मोबाईल नम्बर-9351239512

प्लाट नं. 48, भवानी निकेतन विस्तार, झोटवाड़ा थाना रोड, जयपुर का पट्टा, स्टाम्प व साइट प्लान कहीं गुम हो गए है, मिलने पर सूचित करें। सज्जन सिंह राठौड़-9829708708